न्यायालय, समाहर्त्ता, खगड़िया।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक–ता0..... से.....

जिला–खगड़िया.....,सा0.....,सन्.....

केस का प्रकारः–बिहार मघनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को वि करने के संबंध में।

आदेश की क्रम स0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की कार्रवाई के बा टिप्पणी तारीख–सहि 03.
20.05.2017	रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार के ज्ञापांक 534/अप0शा0, दिनांक 11.05.2017 द्वारा रेल थाना खगड़िया एवं रेल थाना मानसी में क्रमशः दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 30.04.2017 तक रेल थाना, खगड़िया में कुल 20 कांडो में कुल–372.060 लीटर एवं रेल थाना, मानसी में कुल–06 कांडों में कुल–101.985 लीटर अवैध शराब बरामद कर उक्त थाना के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा हुआ है। खगड़िया रेल थाना में कुल 372.060 लीटर एवं मानसी रेल थाना में कुल 101.985 लीटर बरामद शराब सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकुल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मघनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक मे उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निर्देश दिया जाता है कि रेल थाना खगड़िया एवं रेल थाना मानसी के विभिन्न कांडों में जप्त देशी/विदेशी शराब को अपने देख रेख में नष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेगें। आदेश की प्रति रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार/रेल थानाध्यक्ष, खगड़िया/रेल थानाध्यक्ष, मानसी/उत्पाद अधीक्षक खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, खगड़िया।	

समाहर्त्ता, खगड़िया।